

प्रगति प्रतिवेदन

(2021-22)

सिंचित क्षेत्र विकास चम्बल, कोटा



सिंचित क्षेत्र विकास, चम्बल कोटा

परिचय

सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (चम्बल) कोटा एक समेकित परियोजना है जिसके अंतर्गत सिंचाई, जलोत्सरण, भूमि विकास, कृषि विस्तार व कृषि अनुसंधान आदि के कार्य किए जा रहे हैं। इस परियोजना का मूल उद्देश्य चम्बल सिंचित क्षेत्र के किसानों की वर्षा पर निर्भरता को कम करते हुए उचित समय पर समुचित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना, भूमि सुधार करना तथा इस क्षेत्र में समन्वित प्रयास से समग्र कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। इसी उद्देश्य को लेकर जून 1974 में विश्व बैंक की सहायता से चम्बल सिंचित क्षेत्र परियोजना प्रारंभ की गई थी। चम्बल सिंचाई परियोजना की नहर प्रणाली, 2,29,000 हैक्टेयर (कोटा 104000 हैक्टेयर, बून्दी 97000 हैक्टेयर, बॉरा 28000 हैक्टेयर) राजस्थान में तथा इतना ही क्षेत्र मध्य प्रदेश में सिंचित करती है। चम्बल क्षेत्र में आने वाले गाँवों की संख्या 757 (कोटा, बून्दी एवं बारा सीएडी क्षेत्र) है।

चम्बल परियोजना का निर्माण 76 प्रतिशत (21 प्रतिशत खरीफ व 55 प्रतिशत रबी) सिंचाई सघनता को ध्यान में रखते हुए किया गया था। वर्ष 1974-75 तक यह लक्ष्य अर्जित नहीं किया जा सका लेकिन उसके बाद समन्वित सिंचित क्षेत्र विकास के प्रयासों (भूमि विकास के कार्य, जलोत्सरण के कार्य, कृषि विस्तार व कृषि अनुसंधान) से सिंचाई सघनता 135 प्रतिशत अनुमानित तक अर्जित कर ली गई है।

सिंचित क्षेत्र विकास चम्बल कोटा के कार्य अब ISBIG योजना के तहत करवाये जाएंगे जिसकी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर केन्द्रीय जल आयोग जयपुर को भिजवाई जा चुकी है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अर्द्ध शासकीय पत्रांक एन-24011/46/2015-सीएडीडब्ल्यूएम दिनांक 16.09.2020 के द्वारा मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को अवगत करवाया गया है कि Expenditure Finance Committed (EFC) द्वारा ISBIG अनुमोदित होकर केबिनेट से स्वीकृताधीन है एवं कोविड-19 के कारण अब तक स्वीकृत नहीं हो पाई जिसका शीघ्र ही स्वीकृत होना संभावित है।

इसके अतिरिक्त **ISBIG** की स्वीकृति के अभाव में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के वी वाई) के अन्तर्गत फील्ड चैनल निर्माण कार्य के वर्ष 2020-21 हेतु नवीन परियोजनाओं के 12 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 64315 हैक्टेयर क्षेत्र के राशि रूपये 263.404 करोड़ के प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता पूर्व एवं अतिरिक्त सचिव सीएडी जयपुर को प्रेषित किये गये हैं।

खेत सुधार के कार्य शेष 70764 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए **कृषि बजट** अन्तर्गत 70764 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए राशि रु. 247.67 करोड़ की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तावित है।

खेत सुधार के कार्य शेष 70764 हेक्टेयर क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 50 कार्य 10510 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए राशि रु. 3678.50 लाख के कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई थी लेकिन ISBIG की स्वीकृति के अभाव में कार्य नहीं करवाये जा सके। आगामी वित्तीय वर्ष में श्रीमान मुख्य अभियन्ता (पूर्व) एवं अतिरिक्त सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास राजस्थान, जयपुर के कार्यालय पत्रांक एफ-43/CE(E)CAD/T/MNAREGA/2021-22/2519 दिनांक 20.12.2021 द्वारा खेत सुधार कार्यों की स्वीकृति राज्य मद एवं महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ कन्वर्जन (50:50) कर राज्य मद की राशि का बजट आवंटन प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2022-23 की होने वाली बजट निर्णायक समिति बैठक में रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जो प्रशासनिक विभाग के एम.आर. नम्बर 2522 दिनांक 17.12.2021 द्वारा अनुमोदित है।

संगठनात्मक ढांचा परिशिष्ट-1 पर एवं स्वीकृत रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट- 2 (अ) व 2 (ब) पर संलग्न है। आलौच्य वर्ष 2021-22 में योजनावार वित्तीय प्रगति परिशिष्ट 3, 4, 5 एवं भौतिक लक्ष्य तथा प्रगति परिशिष्ट 6 पर दर्शित है। प्रमुख कार्यों के विरुद्ध आलौच्य वर्ष 2021-22 में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विगत तीन वर्षों की तुलनात्मक तालिका परिशिष्ट- 7 व 8 पर दर्शित है।

सिंचित क्षेत्र विकास चम्बल कोटा द्वारा संचालित योजना/कार्यक्रम की प्रगति :-

1.भूमि विकास कार्यक्रम

चम्बल सिंचित क्षेत्र के कुल 2.29 लाख हैक्टेयर क्षेत्र खेत सुधार कार्य किये जाने है क्षेत्र में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्य करवाये जाते है :-

(अ) फुल पेकेज ओ.एफ.डी. मय फील्ड ड्रेन कार्य अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किये जाते है :-

- प्रत्येक खेत हेतु फील्ड चैनल का निर्माण।
 - खेत की सिंचाई हेतु नवीन आकार एवं समतलीकरण का कार्य।
 - प्रत्येक खेत के जलोत्सरण हेतु फील्ड ड्रेन का निर्माण।
 - निर्बाध सिंचाई एवं आवागमन हेतु पक्के कार्य जैसे पुलिया, सड़क, साईफन, डिबीजन बॉक्स इत्यादि का निर्माण।
 - निर्बाध आवागमन/परिवहन हेतु ड्रेन के साथ कच्ची सड़क का निर्माण।
- (ब) फील्ड चैनल का निर्माण कार्य अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किये जाते है :-
- नवीन कच्चे फील्ड चैनल का निर्माण।
 - पुराने फील्ड चैनल का जीर्णोद्धार।
 - फील्ड चैनल को पक्का करने का कार्य।
 - भूमिगत फील्ड चैनल का निर्माण।

उक्त निर्माण से सिंचाई दक्षता में वृद्धि होगी, जिससे प्रत्येक खेत में पानी पहुँचाया जाना संभव हो सकेगा। खेत सुधार कार्यक्रम से चम्बल परियोजना में कृषि उत्पादन में वृद्धि, जलभराव की समस्या के निदान इत्यादि में आशातीत सफलता के साथ साथ सिंचाई व फसल सघनता में वृद्धि हुई है।

ISBIG योजना के भारत सरकार द्वारा लागू नहीं किये जाने से केन्द्रीय सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई जिससे वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोई भी नये कार्य स्वीकृत नहीं किये गये तथा पूर्व के वर्ष में स्वीकृत कार्यों के कार्य आदेश भी जारी किये जाने की अनुमति प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रदान नहीं की गई है।

चम्बल सिंचित क्षेत्र के कुल 2.29 लाख हैक्टेयर क्षेत्र खेत सुधार कार्य किये जाने है। प्रारम्भ से मार्च, 2021 तक 1,58,236 हैक्टेयर क्षेत्र में भूमि विकास कार्य कराये जा चुके है। विभागीय योजना के अतिरिक्त महानरेगा योजना से ड्रेन डिसिल्टिंग एवं कच्चे धोरो को पक्का करने के 362 कार्य राशि रुपये 3839.98 लाख के कार्यों की स्वीकृति जिला परिषद कोटा/बून्दी/बांरा जारी की गई इनमें से 145 कार्य पूर्ण एवं 152 कार्य प्रगतिरत है। जिन पर कुल राशि रुपये 940.63 लाख का व्यय हुआ है। इसके अतिरिक्त राजीव गांधी जल संचय योजना अन्तर्गत पक्के धोरे निर्माण के 53 कार्य राशि रुपये 587.30 लाख के कार्य जिला परिषद कोटा/बून्दी/बांरा द्वारा अनटाईड फण्ड से स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से 17 कार्य पूर्ण एवं 12 कार्य प्रगतिरत है। जिन पर कुल राशि रुपये 86.49 लाख का व्यय हुआ है।

2. सिंचाई प्रबन्धन एवं जलोत्सरण कार्यक्रम

सिंचाई जल का कुशल प्रबन्धन एवं वितरण कर अधिकाधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नहरों को सुदृढ करने, उनकी क्षमता बढ़ाने हेतु विभिन्न सिंचाई के ढाँचों का निर्माण, जलीय खरपतवारों पर नियंत्रण, ए.पी.एम./आउट लेट निर्माण एवं नहरी सड़कों का निर्माण इत्यादि कार्य सम्पादित किये जाते हैं।

रबी की फसल के लिये नहरों में नहरों में जल प्रवाह :-

वर्ष 2021-22 में कृषकों की मांग अनुसार रबी फसल हेतु दिनांक 25.10.2021 से दाँयी/बाँई मुख्य नहर में जल प्रवाह प्रारम्भ कर दिया गया है। मध्यप्रदेश को दिनांक

1.11.2021 से सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस वर्ष भी पूर्व की भाँति कृषकों की मांग अनुसार सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जायेगा।

वर्ष 2021-22 में सिंचाई व जलौत्सरण के भौतिक कार्यों के अर्न्तगत माह दिसम्बर, 2021 तक नहर पक्की करने के कार्य 212.00 कि.मी. के वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध 203.039 कि.मी., विविध ढाँचे/प्रोटेक्शन वर्क्स 543 (संख्या) के विरुद्ध 322 (संख्या), आउट लेट 1660 (संख्या) के विरुद्ध 676 (संख्या), मिट्टी के कार्य 5.462 लाख घन मीटर के विरुद्ध 13.847 लाख घन मीटर, सी.सी. कार्य 75135 (घन मीटर) के लक्ष्य के विरुद्ध 77668.21 (घनमीटर) तथा स्टोन मेसनरी कार्य 6075 (घन मीटर) लक्ष्य के विरुद्ध 17786.46 (घनमीटर) में किया गया है।

3.कृषि अनुसंधान

वृहद सिंचाई परियोजनाओं में ग्राह्य परीक्षण का विशेष महत्व है। क्षेत्र विशेष की आवश्यकतानुसार अधिक कृषि उत्पादन हेतु प्रसार कार्यकर्ताओं के माध्यम से कृषकों को कृषि की नवीनतम तकनीकी जानकारी से अवगत कराया जाता है। वर्ष 2007-08 से इस योजना को आयोजना भिन्न में तथा वर्ष 2017-18 से स्टेट फण्ड (योजना के अतिरिक्त) में क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2019-20 से इस योजना को योजना अर्न्तगत सम्मिलित किया गया है तथा निम्न कार्य कराये जा रहे हैं :-

- नवीनतम फसलों का समावेश और उपयुक्त फसल पद्धति का ज्ञान कराना।
- विभिन्न फसलों की उन्नत व अधिकतम पैदावार वाली प्रजातियों का चयन।
- शस्य क्रियाओं का प्रचार एवं प्रसार।
- फसलों में कीट व रोग प्रकोप का सर्वेक्षण व नियंत्रण।
- फसलों में खरपतवार नियंत्रण।
- खेतों में सिंचाई जल का प्रबन्धन एवं समुचित उपयोग।
- कृषकों के खेतों पर ग्राह्य परीक्षण आयोजित करना।
- कृषकों की समस्याओं का तकनीकी निदान।
- मृदा परीक्षण कर संतुलित उर्वरकों की सिफारिश।
- भू-जल की गुणवत्ता की जांच एवं तदनुसार सिफारिश।
- कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित परीक्षणों को नान्ता एवं दीगोद फार्म तथा समस्याग्रस्त क्षेत्र में कृषकों के यहाँ सम्पादित कर सिफारिश प्रदान करना।

वर्ष 2021-22 में ग्राह्य परीक्षण 30 (संख्या) के वार्षिक लक्ष्य के विपरीत माह दिसम्बर 2021 तक 30 (संख्या) आयोजित किये गये हैं। बीज उत्पादन कार्यक्रम लक्ष्य 102 हैक्टेयर क्षेत्र के विरुद्ध 90.08 हैक्टेयर क्षेत्र में आयोजित किया गया है। मृदा एवं जल विश्लेषण के वार्षिक लक्ष्य 1000 (संख्या) विरुद्ध 1453 (संख्या) में मृदा एवं जल नमूनों का विश्लेषण किया गया, जिसमें 1397 (संख्या) मृदा एवं 56 (संख्या) जल के नमूने हैं।

नवाचार के अर्न्तगत प्रिस्क्रिपशन सेवा "नान्ता कृषि सलाह पर्ची" को वर्ष 2014-15 में आरम्भ किया गया है। वर्ष 2021-22 में दिसम्बर 2021 तक 1660 कृषकों की समस्याओं का समाधान कर उन्हें इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। माह जनवरी 2014 से दिसम्बर 2021 तक कुल 20,932 कृषकों की समस्याओं का समाधान कर उन्हें इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है।

4.कृषि विस्तार कार्यक्रम

कृषि क्षेत्र में नवीनतम हो रहे अनुसंधानों को कृषकों के खेतों तक पहुँचाने के उद्देश्य से सिंचित क्षेत्र विकास में प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम सीएडी क्षेत्र की सभी आठ पंचायत समितियों में संचालित हैं। जिसमें कोटा जिले की लाडपुरा, सुल्तानपुर व इटावा, बून्दी जिले की बून्दी, केशोरायपाटन व तालेडा तथा बारा जिले की अन्ता, मांगरोल पंचायत समिति हैं। जिसमें कुल 235 ग्राम पंचायतें आती हैं। कृषि विस्तार द्वारा कृषि विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं जैसे अनुदान पर उन्नत कृषि यंत्रों व पौध

संरक्षण यंत्रों का वितरण, फसलों में कीट एवं बीमारियों के नियंत्रण उपाय सुझाना एवं आर्थिक हानि स्तर से अधिक प्रकोप होने पर विभाग से कृषकों को पौध संरक्षण रसायनों पर अनुदान, सहायता उपलब्ध करवाकर फसलों को सुरक्षा प्रदान करना है। भूमि की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनुदान पर जिप्सम वितरण करना, भूमि में उर्वरकों से पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जीवाणु खाद (कल्चर) का अनुदान पर वितरण तथा संतुलित उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये कृषकों को मिट्टी के परीक्षण के लिये प्रेरित कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को संचालित किया जा रहा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिट्टी की प्रयोगशाला जाँच उपरान्त कृषकों को दिये जा रहे हैं ताकि कृषक को उसकी भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों की जानकारी रहे उसी अनुसार कृषक बोई जाने वाली फसल में उर्वरक का प्रयोग कर सके।

सी.ए.डी क्षेत्र में सिंचाई जल के सदुपयोग हेतु कृषकों को जागरूक किया जा रहा है ताकि सिंचाई जल के अपव्यय को रोकने हेतु विभागीय योजनान्तर्गत फार्म पोण्ड बनाने हेतु जाग्रत कर अनुदान उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम संचालित कर, सिंचित क्षेत्र में वृद्धि कर कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। कृषि तकनीक को बढ़ावा देने के लिये उन्नत एवं नवीनतम किस्मों के बीज मिनिक्विट्स वितरण, फसल प्रदर्शनों के माध्यम से आधुनिक तकनीक का कृषकों में प्रसार, जिप्सम के प्रयोग से दलहनी, तिलहनी फसलों में उत्पादन वृद्धि, खरपतवार नियंत्रण हेतु रसायनों के फसलों में प्रयोग, समयानुसार पौध संरक्षण उपायों के माध्यम से फसल सुरक्षा, पौध संरक्षण उपकरणों, कृषि यंत्रों को अनुदान पर कृषकों को मुहैया कराया जाकर खेती में कृषि यान्त्रीकरण को बढ़ावा देना, जैविक उर्वरकों के प्रयोग से पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाना, विभिन्न सिंचाई पद्धतियों के प्रयोग को बढ़ावा देना, उनपर कृषकों को विभागीय दिशा निर्देश अनुसार अनुदान उपलब्ध करवाया जाने के कार्य किये जा रहे हैं। कृषकों को विभिन्न प्रशिक्षणों एवं अन्तरराज्यीय एवं अन्तरराज्यीय कृषक भ्रमण के द्वारा कृषि क्षेत्र में हुए प्रयोगों, प्रयासों के साथ आधुनिक कृषि तकनीक से अवगत करवाया जा रहा है।

सिंचित क्षेत्र विकास चम्बल कोटा में सीएडी चम्बल कोटा के अन्तर्गत आने वाली कोटा जिले की लाड़पुरा, दिगोद, पीपल्दा, बांरा जिले की अन्ता एवं मांगरोल तथा बून्दी जिले की बून्दी, तालेड़ा, के. पाटन एवं इन्द्रगढ़ तहसीलों में कमाण्ड एवं अनकमाण्ड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 762231 हैक्टेयर है। खेती के लिये उपलब्ध 485000 हैक्टेयर क्षेत्रफल में से खरीफ 2021 में 333740 (कमाण्ड + अनकमाण्ड) हैक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों की बुवाई की गयी है जिसमें से 68,952 हैक्टेयर क्षेत्र में धान तथा 1,87,841 हैक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन तथा 54,262 हैक्टेयर क्षेत्र में उडद की बुवाई गयी है। रबी 2021-22 में 3,76,498 (कमाण्ड + अनकमाण्ड) हैक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों की बुवाई की गयी है जिसमें गेहूँ, चना तथा सरसों की फसल की बुवाई क्रमशः 2,15,260, 43,150 एवं 84,735 हैक्टेयर क्षेत्र में की गई है।

5.जल प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता कार्यक्रम

राजस्थान में सर्वप्रथम चम्बल सिंचित क्षेत्र में सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता बढ़ाने, नहरी तंत्र का प्रबंधन, रख रखाव एवं जल वितरण कृषक संगठनों के माध्यम से करवाने हेतु वर्ष 1992 में प्रारम्भ कर 354 जल प्रबन्धन समितियों का गठन किया गया था। इनमें से 82 समितियां राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 एवं 272 समितियां राजस्थान संस्था अधिनियम 1958 के तहत गठित की गई थी। उक्त समितियों का पुनर्गठन राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम, 2000 एवं नियम 2002 के तहत किया जा कर 282 जल उपयोक्ता संगमों, 36 जल वितरण समितियों एवं एक परियोजना समिति का गठन कर लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा सीएडीडब्ल्यूएम कार्यों की समीक्षा हेतु गठित मोनेटरिंग कमेटी में पीआईएम एक्ट के तहत गठित परियोजना स्तरीय समिति के प्रतिनिधि को मोनेटरिंग कमेटी के सदस्य के रूप में मनोनित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा काडा में भी चम्बल परियोजना समिति के सभापति के साथ साथ चार वितरण समिति के सदस्यों को भी सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है।

सिंचाई कर वसूली में से कृषक संगठनों को उनके हिस्से के रूप में वर्ष 2012-13 में रुपये 111.08 लाख, वर्ष 2013-14 में राशि रुपये 124.25 लाख, वर्ष 2014-15 में राशि रुपये 142.36 लाख, 2015-16 में राशि रुपये 101.49 लाख, 2016-17 में राशि रुपये 45.89 लाख, वर्ष 2017-18 में राशि

रूपये 69.38 लाख, वर्ष 2018-19 में राशि रूपये 95.13 लाख, वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 105.89 लाख, वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 88.85 लाख तथा वर्ष 2021-22 में माह दिसम्बर 21 तक राशि रूपये 45.72 लाख की राशि लौटायी गयी।

आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धि :-

शून्य

सार संक्षेप :-

वर्ष 2021-22 में सिंचाई व जलौत्सरण के भौतिक कार्यों के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2021 तक नहर पक्की करने के कार्य 212.00 कि.मी. के वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध 203.039 कि.मी., विविध ढ़ाँचे/प्रोटेक्शन वर्क्स 543 (संख्या) के विरुद्ध 322 (संख्या), आउट लेट 1660 (संख्या) के विरुद्ध 676 (संख्या), मिट्टी के कार्य 5.462 लाख घन मीटर के विरुद्ध 13.847 लाख घन मीटर, सी.सी. कार्य 75135 (घन मीटर) के लक्ष्य के विरुद्ध 77668.21 (घनमीटर) तथा स्टोन मेसनरी कार्य 6075 (घन मीटर) लक्ष्य के विरुद्ध 17786.46 (घनमीटर) में किया गया है।

खेत सुधार कार्यों के अन्तर्गत महानरेगा योजना से ड्रेन डिसिल्टिंग एवं कच्चे धोरे को पक्का करने के 362 कार्य राशि रूपये 3839.98 लाख के कार्यों की स्वीकृति जिला परिषद कोटा/बून्दी/बांरा जारी की गई इनमे से 145 कार्य पूर्ण एवं 152 कार्य प्रगतिरत है। जिन पर कुल राशि रूपये 940.63 लाख का व्यय हुआ है। इसके अतिरिक्त राजीव गांधी जल संचय योजना अन्तर्गत पक्के धोरे निर्माण के 53 कार्य राशि रूपये 587.30 लाख के कार्य जिला परिषद कोटा/बून्दी/बांरा द्वारा अनटाईड फण्ड से स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमे से 17 कार्य पूर्ण एवं 12 कार्य प्रगतिरत है। जिन पर कुल राशि रूपये 86.49 लाख का व्यय हुआ है।

सिंचित क्षेत्र विकास चम्बल कोटा में वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत माह दिसम्बर 21 तक योजनान्तर्गत (मध्यप्रदेश हिस्सा रहित) में राशि रूपये 24207.25 लाख के प्रावधान के विरुद्ध राशि रूपये 20047.48 लाख का व्यय किया गया।

वर्ष 2021-22 में ग्राह्य परीक्षण 30 (संख्या) के वार्षिक लक्ष्य के विपरीत माह दिसम्बर 2021 तक 30 (संख्या) आयोजित किये गये है। बीज उत्पादन कार्यक्रम लक्ष्य 102 हैक्टेयर क्षेत्र के विरुद्ध 90.08 हैक्टेयर क्षेत्र में आयोजित किया गया है। मृदा एवं जल विश्लेषण के वार्षिक लक्ष्य 1000 (संख्या) विरुद्ध 1453 (संख्या) में मृदा एवं जल नमूनों का विश्लेषण किया गया, जिसमें 1397 (संख्या) मृदा एवं 56 (संख्या) जल के नमूने है।

सिंचित क्षेत्र विकास चम्बल कोटा में सीएडी चम्बल कोटा के अन्तर्गत आने वाली कोटा जिले की लाड़पुरा, दिगोद, पीपल्दा, बांरा जिले की अन्ता एवं मांगरोल तथा बून्दी जिले की बून्दी, तालेड़ा, के. पाटन एवं इन्द्रगढ़ तहसीलों में कमाण्ड एवं अनकमाण्ड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 762231 हैक्टेयर है। खेती के लिये उपलब्ध 485000 हैक्टेयर क्षेत्रफल में से खरीफ 2021 में 333740 (कमाण्ड + अनकमाण्ड) हैक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों की बुवाई की गयी है जिसमें से 68,952 हैक्टेयर क्षेत्र में धान तथा 1,87,841 हैक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन तथा 54,262 हैक्टेयर क्षेत्र में उडद की बुवाई गयी है। रबी 2021-22 में 3,76,498 (कमाण्ड + अनकमाण्ड) हैक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों की बुवाई की गयी है जिसमें गेहूँ, चना तथा सरसों की फसल की बुवाई क्रमशः 2,15,260, 43,150 एवं 84,735 हैक्टेयर क्षेत्र में की गई है।

परिशिष्ट :-1

**संगठनात्मक ढांचा, सीएडी, चम्बल कोटा
क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सीएडी, कोटा**

प्रशासनिक एवं समन्वय इकाई (लैण्ड रिकॉर्ड सहित)	वित्त एवं लेखा इकाई	कृषि विस्तार इकाई	कृषि अनुसंधान इकाई	जल प्रबन्धन इकाई (सिंचाई) (सिंचाई एवं जलोत्सरण)	भूमि विकास इकाई	
अतिरिक्त क्षेत्रीय विकास आयुक्त	मुख्य लेखाधिकारी	परियोजना निदेशक (विस्तार)	परियोजना निदेशक (शस्य)	मुख्य अभियन्ता (पूर्व) एवं अतिरिक्त सचिव		
				अधीक्षण अभियन्ता (सिंचाई)	अधीक्षण अभियन्ता (बाँई मुख्य नहर)	अधीक्षण अभियन्ता (भूमि विकास)
(1) उप निदेशक एवं तकनीकी सहायक वास्ते क्षेत्रीय विकास आयुक्त (2) सहायक भू अभिलेख अधिकारी कम तहसीलदार (3) सहायक विधि परामर्शी	वरिष्ठ लेखाधिकारी	जिला विस्तार अधिकारी (3)	ग्राह्य परीक्षण केन्द्र (2)	खण्ड(3)	खण्ड(2)	खण्ड(4)
		(1) जिला विस्तार अधिकारी, कोटा	(1) नान्ता फार्म	(1) अधिशाषी अभियन्ता, दाँई मुख्य नहर, खण्ड प्रथम, सीएडी कोटा	(1) अधिशाषी अभियन्ता, बाँई मुख्य नहर, सीएडी बून्दी	(2) अधिशाषी अभियन्ता, खेत सुधार खण्ड प्रथम के. पाटन
		(2) जिला विस्तार अधिकारी, सुल्तानपुर	(2) दीगोद फार्म	(2) अधिशाषी अभियन्ता, दाँई मुख्य नहर खण्ड द्वितीय, सीएडी अन्ता	(1) अधिशाषी अभियन्ता, बाँई मुख्य नहर, सीएडी के. पाटन।	(3) अधिशाषी अभियन्ता, खेत सुधार खण्ड तृतीय, अन्ता,
		(3) जिला विस्तार अधिकारी, बून्दी	मृदा, जल परीक्षण प्रयोगशाला-1, नान्ता, कोटा	(3) अधिशाषी अभियन्ता, दाँई मुख्य नहर खण्ड, तृतीय, सीएडी, ईटावा		(4) अधिशाषी अभियन्ता, खेत सुधार खण्ड, चतुर्थ, कोटा
				उपखण्ड (9)	उपखण्ड (6)	

परिशिष्ट :-2(अ)

2(अ) सिंचित क्षेत्र विकास चम्बल मे विभिन्न सेवा वर्ग के दिसम्बर 2021 तक की स्थितिनुसार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण :-

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत,कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2			
1	क्षेत्रीय विकास आयुक्त	1	आस्थगित	आस्थगित
2	अति. क्षेत्रीय विकास आयुक्त	1	1	0
3	मुख्य लेखाधिकारी	1	1	0
4	परियोजना निदेशक (शष्य)	1	1	0
5	परियोजना निदेशक (विस्तार)	1	1	0
6	अधीक्षण अभियंता	3	3	0
7	उप निदेशक एवं तकनीकी सहायक	1	1	0
8	उपनिदेशक (शष्य)	1	1	0
9	अधिशाषी अभियन्ता (मय प्रावै.सहायक)	12	10	2
10	निजी सचिव	1	1	0
11	जिला विस्तार अधिकारी	3	3	0
12	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1	0	1
13	लेखाधिकारी	3	1	2
14	सहायक अभियन्ता (सिंचाई)	24	20	4
15	सहायक अभियन्ता (कृषि)	14	13	1
16	सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (वनस्पति/शष्य)	5	1	4
17	तहसीलदार	1	0	1
18	सहायक विधि परामर्शी	1	1	0
19	सहायक लेखाधिकारी-।	1	1	0
20	डिप्टी कलक्टर	1	0	1
21	सांख्यिकी अधिकारी	1	1	0
22	सहायक लेखाधिकारी -II	14	6	8
23	प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
24	अतिरिक्त निजी सचिव	1	0	1
25	कनिष्ठ अभियन्ता (सिंचाई)	60	45	15
26	कनिष्ठ अभियन्ता (कृषि)	17	10	7
27	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	2	1	1
28	निजी सहायक	1	1	0
29	सहायक कृषि अधिकारी	6	5	1
30	कनिष्ठ लेखाकार	9	2	7
31	जिलेदार	1	0	1
32	कनिष्ठ विधि सहायक अधिकारी	1	1	0
33	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	2	0	2
34	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (सी.ए.डी.)	7	5	2
35	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (सिंचाई)	6	5	1
36	आशुलिपिक (सीएडी)	3	0	3
37	आशुलिपिक (सिंचाई)	1	1	0
38	वरिष्ठ सहायक (सीएडी.)	11	9	2

क.सं.	पद का नाम	स्वीकृत,कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
39	वरिष्ठ सहायक (सिंचाई)	22	7	15
40	कनिष्ठ सहायक (सीएडी)	23	23	0
41	कनिष्ठ सहायक (सिंचाई)	28	28	0
42	कनिष्ठ प्रारूपकार	1	0	1
43	कृषि पर्यवेक्षक	54	48	6
44	निरीक्षक (भू.अभि.)	1	0	1
45	पटवारी	15	5	10
46	भू-मापक	2	0	2
47	वाहन चालक	1	0	1
48	फेरोमेन	1	0	1
49	मिस्त्री	1	0	1
50	जमादार	1	1	0
51	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (सी.ए.डी.)	28	25	3
52	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (सिंचाई)	30	22	8
	योग	429	311	117

नोट : श्रीमान् क्षेत्रीय विकास आयुक्त,सीएडी, कोटा का पद शासन उप सचिव, सीएडी एवं जल उपयोगिता विभाग जयपुर के पत्रांक प.3(27)सी.ए.डी./07 जयपुर दिनांक 11.12.08 से आस्थगित रखा गया है। उक्त सूचना में पद आस्थगित रखे जाने के कारण पदों के योग में 1 पद का अन्तर प्रदर्शित हो रहा है।

परिशिष्ट :-2(ब)

2(ब) कार्यालय मुख्य अभियन्ता (पूर्व) एवं अतिरिक्त सचिव जयपुर में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण माह दिसम्बर 2021

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
	राजपत्रित			
1	मुख्य अभियन्ता	1	1	0
2	अधीक्षण अभियन्ता	1	1	0
3	अधिकाधी अभियन्ता	3	3	0
4	मुख्य लेखाधिकारी	1	1	0
5	लेखाधिकारी	1	0	1
6	सहायक अभियन्ता	4	2	2
7	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0
	अराजपत्रित			
8	कनिष्ठ अभियन्ता	4	4	0
9	निजि सहायक/स्टेनों	2	2	0
10	कनिष्ठ लेखाकार	2	2	0
11	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
12	वरिष्ठ सहायक	2	1	1
13	कनिष्ठ सहायक	4	4	0
14	सूचना सहायक	1	0	1
15	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5	4	1
16	वाहन चालक	1	1	0
	योग	34	27	7

विभागीय कार्यों की आलौच्य वर्ष की प्रगति

सिंचित क्षेत्र विकास, चम्बल कोटा में आलौच्य वर्ष 2021-22 में स्टेट फण्ड तथा केन्द्रीय सहायता की प्रगति :-

(रूपये लाखों में)

क्र स	योजना	बजट प्रावधान 2021-22			माह दिसम्बर 2021 तक व्यय		
		स्टेट फण्ड	केन्द्रीय सहायता	योग	स्टेट फण्ड	केन्द्रीय सहायता	योग
अ							
1	निर्देशन प्रशासन प्लान सुपरविजन	262.76	0.00	262.76	190.02	0.00	190.02
2	निर्देशन एवं प्रशासन	487.05	0.00	487.05	341.13	0.00	341.13
3	ग्राह्य परीक्षण	30.00	0.00	30.00	22.70	0.00	22.70
4	प्रदर्शन	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
	योग अ(1 + 2 + 3+4)	779.84	0.00	779.84	553.85	0.00	553.85
ब	सिंचाई एवं जलोत्सरण						
ब(1)	पी.आई.एम.						
1	प्रबन्धकीय अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	प्रशिक्षण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	जल उपयोक्ता संगम के चुनाव	25.00	0.00	0.00	9.95	0.00	9.95
	योग ब(1)(1 + 2 + 3)	25.00	0.00	25.00	9.95	0.00	9.95
ब(2)	सिंचाई एवं जलोत्सरण						
1	दाई मुख्य नहर	14313.75	0.00	14313.75	11477.20	0.00	11477.20
2	बाई मुख्य नहर	8538.36	0.00	8538.36	7648.92	0.00	7648.92
	योग ब (2) (1 + 2)	22852.11	0.00	22852.11	19126.12	0.00	19126.12
	योग (सिंचाई एवं जलोत्सरण) ब (ब(1)+ब (2))	22877.11	0.00	22877.11	19136.07	0.00	19136.07
स	भूमि विकास कार्य						
1	भूमि विकास (स्थापना)	550.26	0.00	550.26	357.56	0.00	357.56
2	मूल्यांकन/ मार्गनर वर्क्स	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	भूमि विकास कार्य	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
4	फसल मुआवजा	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	योग (भूमि विकास कार्य)	550.30	0.00	550.30	357.56	0.00	357.56
	योग (अ + ब + स)	24207.25	0.00	24207.25	20047.48	0.00	20047.48

परिशिष्ट -4

सिंचित क्षेत्र विकास, चम्बल कोटा में आलौच्य वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत स्टेट फण्ड तथा केन्द्रीय सहायता की वित्तीय प्रगति

(रूपये लाखों में)

क्र स	योजना	बजट प्रावधान 2021-22			माह दिसम्बर 2021 तक व्यय		
		स्टेट फण्ड	केन्द्रीय सहायता	योग	स्टेट फण्ड	केन्द्रीय सहायता	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रदर्शन	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2	सिंचाई एवं जलोत्सरण	3499.00	0.00	3499.00	3112.64	0.00	3112.64
3	भूमि विकास वृत्त	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	योग	3499.02	0.00	3499.02	3112.64	0.00	3112.64

परिशिष्ट -5

सिंचित क्षेत्र विकास, चम्बल कोटा में आलौच्य वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जन जाति कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत स्टेट फण्ड तथा केन्द्रीय सहायता की वित्तीय प्रगति

(रूपये लाखों में)

क्र स	योजना	बजट प्रावधान 2021-22			माह दिसम्बर 2021 तक व्यय		
		स्टेट फण्ड	केन्द्रीय सहायता	योग	स्टेट फण्ड	केन्द्रीय सहायता	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रदर्शन	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2	सिंचाई एवं जलोत्सरण	2618.00	0.00	2618.00	2305.72	0.00	2305.72
3	भूमि विकास वृत्त	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	योग	2618.02	0.00	2618.02	2305.72	0.00	2305.72

सिंचित क्षेत्र विकास, चम्बल कोटा में भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि वर्ष 2021-2022

क्र.स.	कार्य का विवरण	इकाई	वर्ष 2021-22	
			लक्ष्य	उपलब्धि दिसम्बर 21 तक
1	2	3	4	5
अ	सिंचाई एवं जलोत्सरण कार्य			
1	अर्थ वर्क (मिट्टी के कार्य)	लाख घन.मी.	5.462	13.847
2	नहर पक्की करने का कार्य	कि.मी.	212.00	203.039
3	विविध ढाँचे/प्रोटेक्शन वर्क्स	संख्या	543	322
4	आउटलेट्स	संख्या	1660	676
5	सी.सी.	घन मी.	75135	77668.210
6	स्टोन मेसनरी	घन मी.	6075	17786.46
ब	कृषि अनुसंधान कार्य			
1	ग्राह्य परीक्षण	संख्या	30	30
2	मिट्टी एवं जल नमूनों का विश्लेषण	संख्या	1000	1453
3	बीज उत्पादन कार्यक्रम	हैक्टेयर	102	90.08

भूमि विकास इकाई अन्तर्गत खेत सुधार कार्यक्रम

विगत चार वर्षों केन्द्रीय सहायता प्राप्त नहीं होने से खेत सुधार के कार्य वर्तमान में राजीव गाँधी जल संचय योजना एवं महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से सम्पादित किये जा रहे हैं।

राजीव गांधी जल संचय योजना-

वर्तमान में सीएडी चम्बल कोटा परियोजना क्षेत्र में राजीव गांधी जल संचय योजना के प्रथम चरण में कंस्ट्रक्शन ऑफ फील्ड चैनल कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	जिला स्तर से अनुमोदित कार्यों की संख्या	वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कार्यों की संख्या	वित्तीय स्वीकृत राशि (लाखों में)	व्यय राशि (लाखों में)	कार्यों की वर्तमान स्थिति
1	कंस्ट्रक्शन ऑफ फील्ड चैनल	53	53	587.29	86.49	17 कार्य पूर्ण, 12 कार्य प्रगतिरत 21 कार्यों की निविदा प्रक्रिया पूर्ण एवं 3 कार्यों निविदा प्रक्रियाधीन।

महात्मागांधी नरेगा योजना-

वर्तमान में सीएडी चम्बल कोटा परियोजना क्षेत्र में महात्मागांधी नरेगा योजना अन्तर्गत कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति प्राप्त कार्यों की संख्या	वित्तीय स्वीकृत राशि (लाखों में)	व्यय राशि (लाखों में)	कार्यों की वर्तमान स्थिति
1	कंस्ट्रक्शन ऑफ फील्ड चैनल (धोरों का पक्का करने का कार्य)	118	2904.56	282.45	16 कार्य पूर्ण 60 कार्य प्रगतिरत 42 कार्य अप्रारम्भ

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति प्राप्त कार्यों की संख्या	वित्तीय स्वीकृत राशि (लाखों में)	व्यय राशि (लाखों में)	कार्यों की वर्तमान स्थिति
2	डिस्ट्रिक्टिंग ऑफ फील्ड चैनल	244	935.618	658.18	127 कार्य पूर्ण 94 कार्य प्रगतिरत 23 कार्य अप्रारम्भ
	योग	362	3839.98	940.63	145 कार्य पूर्ण 152 कार्य प्रगतिरत 65 कार्य अप्रारम्भ

विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरुद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति उसकी विगत 3 वर्षों से तुलना :-

वित्तीय प्रगति की तुलना

राशि लाखों में

क्र. स.	योजना	वर्ष वार कुल व्यय (आयोजना व केन्द्रीय प्रवर्तित योजना)			
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (माह दिसम्बर 21 तक)
अ					
1	निर्देशन प्रशासन प्लान सुपरविजन	227.92	222.03	239.04	190.02
2	निर्देशन एवं प्रशासन	462.78	393.11	421.49	341.13
3	ग्राह्य परीक्षण	0.00	20.06	35.00	22.70
4	प्रदर्शन	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग अ (1 + 2 + 3 + 4)	690.70	635.20	695.53	553.85
ब	सिंचाई एवं जलोत्सरण				
ब(1)	पी.आई.एम.				
1	प्रबन्धकीय अनुदान (प्रति हेक्टेयर)	0.00	0.00	0.00	0.00
2	प्रशिक्षण	0.00	0.00	0.00	0.00
3	जल उपयोक्ता संगम का चुनाव	5.01	9.08	11.32	9.95
	योग ब(1) (1 + 2 + 3)	5.01	9.08	11.32	9.95
ब(2)	सिंचाई एवं जलोत्सरण				
1	दाई मुख्य नहर	3886.67	3978.39	3408.91	11477.20
2	बाई मुख्य नहर	2643.00	1610.44	1065.14	7648.92
	योग ब (2) (1 + 2)	6529.67	5588.83	4474.05	19126.12
	योग (सिंचाई एवं जलोत्सरण)ब (ब(1)+ब (2))	6534.68	5597.91	4485.37	19136.07
स	भूमि विकास कार्य				
1	भूमि विकास (स्थापना)	550.10	541.84	505.27	357.56
2	माइनर वर्क्स (सर्वे)/मूल्यांकन	0.00	0.00	0.00	0.00
3	भूमि विकास कार्य	696.74	34.37	0.00	0.00
4	फसल मुआवजा	0.00	0.00	0.00	0.00
5	सर्पेस	-10.97	0.00	0.00	0.00
6	कृषक अंशदान	-4.67	0.00	0.00	0.00
	योग (भूमि विकास कार्य)	1231.20	576.21	505.27	357.56
	योग (अ+ब+ स)	8456.58	6809.32	5686.17	20047.48

नोट :- कृषि अनुसंधान कार्यक्रम आयोजना भिन्न में तथा वर्ष 2017-18 से स्टेट फण्ड (योजना के अतिरिक्त) में क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2019-20 से इस योजना को, योजना अर्न्तगत सम्मिलित किया गया है।

विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरुद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति उसकी विगत 3 वर्षों से तुलना :-

भौतिक प्रगति की तुलना

क्र. स.	योजना	इकाई	वर्ष वार भौतिक प्रगति			
			2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 माह दिसम्बर 2021 तक
अ	सिंचाई एवं जलोत्सरण कार्य					
1	नहर पक्की करने का कार्य	कि.मी.	54.91	55.58	62.882	203.039
2	विविध ढाँचे/प्रोटेक्शन वर्कस	संख्या	121	33	61	322
3	मिट्टी के कार्य	लाख घन मीटर	15.150	9.04	2.578	13.847
4	आउट लेटस	संख्या	83	47	203	676
6	मुख्य ड्रेन/केरियर ड्रेन/सीपेज ड्रेन की सफाई का कार्य	कि.मी.	39.84	7.74	40.36	-
7	सी.सी.	घन मी.	9370	17401	14860.93	77668.210
8	स्टोन मेसनरी	घन मी.	2635	1020	2650.42	17786.46
ब	भूमि विकास कार्य					
1	सर्वेक्षण	हैक्टेयर	0	0	0	0
2	आयोजना	हैक्टेयर	0	325	0	0
3	निर्माण	हैक्टेयर	1746	107	0	0
स	कृषि अनुसंधान					
1	ग्राह्य परीक्षण	संख्या	-	29	39	30
2	मिट्टी एवं जल नमूनों का विश्लेषण	संख्या	-	823	1009	1453
3	बीज उत्पादन कार्यक्रम	हैक्टेयर	-	79	102.88	90.08

नोट :- कृषि अनुसंधान कार्यक्रम आयोजना भिन्न में तथा वर्ष 2017-18 से स्टेट फण्ड (योजना के अतिरिक्त) में क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2019-20 से इस योजना को योजना अर्न्तगत सम्मिलित किया गया है।

महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबरों की सूची

क्र.सं.	पदनाम	कार्यालय	निवास/मोबाईल नम्बर
	सी.ए.डी., चम्बल, कोटा		
1.	क्षेत्रीय विकास आयुक्त कोटा	0744-2500675, 2500853	0744-2450040
	फेक्स	0744-2500769	
2.	अतिरिक्त क्षेत्रीय विकास आयुक्त, कोटा	0744-2500740	9680598666
3.	मुख्य लेखाधिकारी, सीएडी कोटा	0744-2500446	9413974695
4.	अधीक्षण अभियन्ता (भू.वि.), सी.ए.डी. कोटा	0744-2500787	9602270162
5.	अधीक्षण अभियन्ता (सिंचाई वृत्त) सी.ए.डी. कोटा	0744-2500149	9460152093
6.	अधीक्षण अभियन्ता (बाई मुख्य नहर) सी.ए.डी. कोटा	0744-2500056	9782006060
7.	परियोजना निदेशक (विस्तार) सी.ए.डी. कोटा	0744-2500644	9413102838
8.	परियोजना निदेशक (शस्य) सी.ए.डी. कोटा	0744-2370740	9468590079